भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1406
उत्तर देने की तारीख- 09/12/2025

सुगम्य भारत अभियान

1406. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री मनोज तिवारी:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सुगम्य भारत अभियान के तहत किए गए अभिगम्यता आकलनों की वर्तमान स्थिति विशेषकर सार्वजनिक भवनों, परिवहन प्रणाली और डिजिटल सेवाओं के संबंध में क्या है;

(ख) वर्तमान में बाधा मुक्त मानकों का पालन करने वाले केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के सरकारी भवनों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के सरकारी भवनों की पहुँच संबंधी विशेषताओं में कोई खामियां पाई गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो समय-सीमा और कार्यनिष्पादन संकेतकों सहित अभिगम्यता मानकों को पूरा करने के लिए अवशेष सार्वजनिक अवसंरचना का उन्नयन करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ):चूकिं 'राज्य में निहित या राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन' राज्य सूची का विषय है;और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार, समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणालियों और सुगम्य आईसीटी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने के लिए और नियमित सामाजिक लेखा-परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए भी ज़िम्मेदार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न योजनाएँ सुगम्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सुविधा के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक व्यापक योजना - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)लागू करता है इसमें एक उप-घटक - "बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए योजना" (सीबीएफई योजना) शामिल है, जिसके माध्यम से मौजूदा सरकारी भवनों और कार्यालयों में अनुरूप प्रस्तावों की प्राप्ति के अनुसार माँग के आधार पर बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, समुचित सरकारों और अन्य सेवा प्रदाताओं को सुगम्य लेखा परीक्षा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने निर्मित वातावरण और वेब/डिजिटल डोमेन, दोनों में,सुगम्य लेखा परीक्षकों को पैनलबद्ध किया है। आज तक की स्थिति के अनुसार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने निर्मित वातावरण के लिए साठ (60) सुगम्य लेखा परीक्षकों और वेब सुगम्यता के लिए सोलह (16) सुगम्य लेखा परीक्षकों को पैनलबद्ध किया है। इन पैनलबद्ध सुगम्य लेखा परीक्षकों की सेवाएँ संबंधित अधिकारियों, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें भी शामिल हैं, द्वारा आवश्यकतानुसार सार्वजनिक और निजी दोनों अवसंरचनाओं की सुगम्य लेखा परीक्षा करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन और शर्तों पर सीधे प्राप्त की जा सकती हैं।

*****